संख्या– [illegible] /XIX-1/18–07/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषयः– निर्धन परिवारों हेतु गैस पर अनुदान योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–440/आ0ले0शा0/निर्धन परि0/2018–19, दिनांक–19.05.2018 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक–02.04.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–3456–001–102–02–निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 50–सब्सिडी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–10.00 करोड़ (रू0–दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 1.00 करोड़ (रू0–एक करोड़ मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)– स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों/मदों में क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2)– स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यथास्थिति जहां आवश्यक हो वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय यथासमय बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5)– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(6)– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28.03.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि का आहरण इन्टरनेट पर डाउनलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय व्यय के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति, 001–निदेशन तथा प्रशासन–102–सिविल पूर्ति योजना–02–निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 50–सब्सिडी की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–81मतदेय/XXVII(5) 18-19 दिनांक–10.07.2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–727/XIX-1/18–07/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–05/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
उप सचिव।